TRAI SUGGESTS INFRASTRUCTURE SHARING AMONG TELECOM SERVICE LICENSEES

The Telecom Regulatory Authority of India (Trai) has proposed allowing telecom service licensees to share both passive and active infrastructure elements among themselves. This includes sharing buildings, towers, electrical equipment, dark fiber, and other infrastructure components owned and operated by them. The recommendations aim to improve cost efficiencies, time to market, quality of service, and coverage for telecom providers.

Currently, only spectrum trading and intra-band spectrum sharing are permitted in India. Trai suggests permitting spectrum leasing and inter-band spectrum sharing for more efficient spectrum utilization.

Under the recommendations, telecom licensees would be allowed to share passive infrastructure such as buildings, towers, and electrical equipment, as well as dark fiber and duct space. The Universal Service Obligation Fund (USOF) projects should include provisions requiring universal service providers not to refuse sharing passive infrastructure with other telecom providers in a transparent and non-discriminatory manner.

Trai also proposes mandating telecom service providers that have built mobile network infrastructure in remote areas with government funding to allow roaming to other providers on their networks for a specified period. Inter-band access spectrum sharing between access service providers in licensed service areas should be permitted, along with exploring the implementation of authorized shared access (ASA) technique-based spectrum sharing.

Additionally, Trai recommends permitting leasing of access spectrum among access service providers to further facilitate efficient utilization of resources and infrastructure in the telecom sector. ■

ट्राई ने दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों के बीच बुनियादी ढ़ांचा साझा करने का सुझाव दिया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों को निष्क्रिय और सक्रिय बुनियादी ढ़ांचे दोनों तत्वों को आपस में साझा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें साझा भवन, टावर, विद्युत उपकरण, डार्क फाइबर और उनके स्वामित्व व संचालन वाले अन्य बुनियादी ढ़ांचे के घटक शामिल हैं। सिफारिशों का उद्देश्य दूरसंचार प्रदाताओं के लिए लागत दक्षता, बाजार में समय, सेवा की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करना है।

वर्तमान में भारत में केवल स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और इंट्रा-बैंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग की अनुमति है। ट्राई ने अधिक कुशल स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम लीजिंग और इंटर बैंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग की अनुमति देने का सुझाव दिया है।

सिफारिशों के तहत दूरसंचार लाइसेंसधारियों को इमारतों, टावरों और बिजली के उपकरणों जैसे निष्क्रिय बुनियादी ढ़ांचे के साथ-साथ डार्क फाइबर और डक्ट स्पेस को साझा करने की अनुमति दी जायेगी। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) परियोजनाओं में ऐसे प्रावधान शामिल होने चाहिए कि सार्वभौमिक सेवा प्रदाता पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने से इंकार न करे।

ट्राई ने उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव रखा है जिन्होंने सरकारी फंडिंग के साथ दूरदराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है, ताकि वे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने नेटवर्क पर अन्य प्रदाताओं को रोमिंग की अनुमति दे सकें। अधिकृत साझा एक्सेस (एएसए) तकनीक आधारित स्पेक्ट्रम शेयरिंग के कार्यान्वयन की खोज के साथ-साथ लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच इंटर बैंड एक्सेस स्पेक्ट्रम शेयरिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त ट्राई दूरसंचार क्षेत्र में संसाधनों और बुनियादी ढ़ांचे के कुशल उपयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच एक्सेस स्पेक्ट्रम के लीज की अनुमति देने की भी सिफारिश करता है। ■